

शिकायतकर्ता :-

जरीना शैख पत्नी फरीद
शैख पता: प्लॉट
नं. 11, खण्ड नं. 1087,
भायल नगर बी.के.सी.,
वांसा, मुंबई
MOB. 9702606513
दिनांक :-

सेवा,
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
बी.के.सी. पुलिस थाना
वांसा, मुंबई

विषय :- बी.के.सी. पुलिस थाने के अंदर 302 के आरोपी
सालिम कुर्शी व उसके साथी जलील मुल्ला
व पुलिस अधिकारी सानप, और ~~वे~~ अन्य द्वारा मेरी
बेटी शारमीन शैख से उसके हाथ दिए गये बयान को
वापस लेने का दबाव डालने व धमकी देने के मामले
में FIR किये जाने बाबत।

महोदय,
~~आज~~ आज दि. 14.11.2020 को मेरी बेटी शारमीन
और बरखदीन को बी.के.सी. पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी
द्वारा बुलाया गया था जिससे सालिम कुर्शी
जलील मुल्ला व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जा सके।
शाप को लगभग 3 बजे के आसपास मेरी बेटी द्वारा बुला
बी.के.सी. पुलिस थाने बुलाया गया जब मैं थाने पहुँची
तो वहाँ सालिम कुर्शी और जलील मुल्ला पहले से मौजूद
था जो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में मुझे आम बोल रहे
थे कि बरखदीन के सभी रिश्तेदारों व भाई-बंधुओं के
खिलाफ FIR दर्ज करे। मेरी बेटी को पुलिस अधिकारी डॉ. -
फतकार ~~कर रहे~~ वे व धमका रहे थे साथ ही जलील मुल्ला
भी मेरी बेटी को डॉ. - इफ्तार था और धमकी दे
रहा था। यह सभी लोग मेरी बेटी से कह रहे थे कि,
अपना 13.11.20 का सालिम कुर्शी व अन्य के खिलाफ
दिया बयान वापस लो तो एक पुम्ह दोनो को छोड़
देगे वही तो दोनो पर FIR बनाकर जेल में डाल
देगे। ~~जब~~ जब मेरी बेटी बनी भानी तो जलील मुल्ला, पुलिस
अधिकारी के रक्त में गये जहाँ मेरी बेटी को उन लोगों ने
बुलया। ऑफिस के अंदर ले जाकर मेरी बेटी के साथ

बसतमीजी की व दायापाई थी, मेरी बेटी के सीने पर
मांस और नारखून भी मड़ाये।

पुलिस थाने में इस प्रकार की मुडागदी मुझे
पहली बार देखी थी, मैं धबरा गई और मेरी बेटी
भी धबरा गई। फिर मुझे पता चला कि मेरी बेटी
ने फिनाइल पी लिया मेरी बेटी के साथ पुलिस थाने
में बहुत गलत किया गया है। मैं चाहती हू कि जलील
मुल्ला और डिम्पेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ
FIR दर्ज हो और उन्हें सजा मिले।

इशार्फ की आशा में।

Jasme 14.11.20
जरीना शेख
mob. 9702606513

पत्र चिकाने
2467
बारनिशी लेखनिक,
बी.के.सी.पोलीस ठाणे मुंबई.


ठाणे अमलवार
बांद्रा-कुर्ला संकुल पोलीस ठाणे
मुंबई.